<u>अतिआवश्यक/बैठक दिनांक 09.08.2016</u>

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रभारी, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र,

1. परियोजना निदेशक वृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र नौगढ चन्दौली।
2. संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र निबलेट–बाराबंकी।
3. संयुक्त निदेशक, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र महानगर लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अलीगढ।
5. संयुक्त निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी शामली।
6. प्रधानाचार्य आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र बक्शी का तालाब, लखनऊ।

संख्या 1959/स्था0–2/1–ख/13(2183)/2014 दिनांक 05-08-2016

विषयः– **<u>पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण(दिनांक 01.09.2016 से 31.10.2016 तक दोनो बैचो के छठे चरण का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण) कराने के संबंध में दिनांक 09.08.2016 को अपरान्ह 02:00 बजे आहूत बैठक में प्रतिभाग करने हेतु</u>**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–338/स्था0–2 /1–ख/13(2101)/2013 दिनांक 30.10.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त मण्डलों मे (सहारनपुर मण्डल को छोडकर) पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिनांक 01.11.2014 से प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश जारी किये गये थे, जिसके कम में मण्डलीय अपर निदेशकों द्वारा उनके अधीन चयनित अभ्यर्थियों का व्यवहारिक पशुचिकित्सालयों पर प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया गया, तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्र संख्या–7174/स्था0–2/1–ख/13(2183)/2014 दिनांक 30.12.2014 द्वारा दिनांक 01.01.2015 से चयनित सूची के कमानुसार आवंटित संस्था पर सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आदेश जारी किये थे, जिसके कम में 50–50 प्रतिशत चयनित अभ्यर्थियों को रोस्टर में 2–2 माह का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दो बैचो में दिया जा रहा है। समस्त अभ्यर्थियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण के 6 चरण पूरे हो चुके है तथा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण का छठा चरण दिनांक 01.09.2016 से आपके केन्द्रो पर प्रारम्भ होना है। उक्त सैद्धान्तिक प्रशिक्षण में दोनो बैचो के अभ्यर्थी आपके प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे।

अतः छठे चरण का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने में आने वाली समस्याओं एवं सुझावो पर विचार–विमर्श हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में मेरे कार्यालय कक्ष में दिनांक 09.08.2016 को एक बैठक अपरान्ह 2:00 बजे आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भ होने वाले सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के संबंध में आने वाले समस्याओं के संबंध में सुझाव के साथ आपके केन्द्रों पर दोनो बैचो के कितने–कितने अभ्यर्थी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, की सूचना सहित बैठक में स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। अपिहार्य परिस्थिति में ही अपने स्थान पर कोई प्रतिनिधि भेजा जाय।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

संख्या /स्था0–2/1–ख/13(2183)/2014 दिनांक

समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–।।, पशुपालन विभाग उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

2183.18